उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ–226001

दूरभाष : 0522–262173, 2274250

फैक्स : 0522–2623578, 2615526

पत्र सं0–032 आर0डब्ल्यू0ए0 / 19–03 ए / दुर्घ0 / 99–16 / 14 दिनांक 03 मई, 2019

1– समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक

2– समस्त सेवा प्रबन्धक,

3– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,

उ0प्र0 परिवहन निगम,

लखनऊ।

विषय: परिवहन निगम की बसों से घटित दुर्घटनाओं को न्यूनतम किये जाने के प्रयास हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर दुर्घटनाओं को नियंत्रित कर सुझाव प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परिवहन निगम की बसों से घटित दुर्घटनाओं की वृद्धि के दृष्टिगत विश्लेषण करने के उपरान्त दुर्घटनाओं की रोकथाम की रणनीति तैयार कर समीक्षात्मक रिपोर्ट बिन्दुवार तैयार की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

1– दुर्घटना की रोकथाम हेतु मुख्य रूप से बसों की यांत्रिक खराबियों एवं कमियों को दूर कर संचालन हेतु मार्ग पर भेजा जाये। कार्यशाला से बस निकलने से पूर्व यदि कोई लापरवाही बरती जाती है तो सम्बन्धित फोरमैन / तकनीकी कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध सेवा प्रबन्धक नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। दुर्घटना होने पर सेवा प्रबन्धक पर भी कार्यवाही की जाय।

2– सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा प्रतिदिन वर्कशॉप में बसों की यांत्रिक कमियों आदि का निरीक्षण कर उसका भली–भाँति समाधान कराने हेतु सीनियर फोरमैन / तकनीकी कार्मिक को निर्देशित भी करें।

3– बस को आउट शेडिंग कराने से पूर्व सीनियर एवं जूनियर फोरमैन द्वारा बस का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर ले कि बस में कोई यांत्रिक कमी अथवा खराबी आदि नहीं है। बस पूर्ण रूप से संचालन योग्य है।

4– दुर्घटना होने पर सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक / डिपो प्रभारी द्वारा तत्काल दुर्घटना अटैण्ड की जाये एवं यथावश्यक सहायता तत्काल उपलब्ध करायी जाये। ऐसा न करने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– चालक को संचालन के दौरान मादक पदार्थ आदि का सेवन न करने हेतु कड़ाई से निरीक्षण कराया जाय।

Downloaded from www.upsrtc.com

6– सुरक्षित चालन प्रोत्साहन योजना के सकारात्मक परिणामों को अधिक प्रभावी बनाने लिए योजना का पुनर्विलोकन कर ओवर स्पीडिंग/हॉर्स ब्रेकिंग एवं चाय के लि थरमस फ्लास्क योजना के अन्तर्गत प्रातः 03:00 से 05:00 बजे के मध्य विश्राम आ का समय–समय पर निर्देश निर्गत कर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

7– चालक की ड्यूटी नियमानुसार निर्धारित घंटों से अधिक न ली जाय।

8– समय–समय पर चालकों का नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण भी पाक्षिक रूप से कराया जाय।

9– बस में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ आदि यात्रा के दौरान पूर्ण रूप से वर्जित किया जाय।

10– समय–समय पर चालक को प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर भेजकर प्रशिक्षण कराया जाये तथा यथावश्यक निर्देश भी दिये जाय।

11– चालक को मार्ग पर संचालन के दौरान दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र (ब्लैक स्पॉट) एवं अंध मोड़ आदि पर गति पर विशेष ध्यान देकर सुरक्षित संचालन कराये जाने हेतु समय–समय पर निर्देश दिये जाय।

12– संचालन के समय वाहन को निश्चित स्थान पर निर्धारित अवधि के लिए विश्राम हेतु रोका जाय।

13– लम्बी दूरी की सेवाओं में संचालित वाहनों के चालक को विश्राम हेतु समुचित व्यवस्था/विश्रामालय प्रत्येक डिपो में उपलब्ध कराने हेतु यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। नोडल अधिकारी इसका निरीक्षण भी करें।

14– मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक माह में हुई दुर्घटनाओं की समीक्षा हेतु गठित क्षेत्रीय समिति दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु गहन अध्ययन कर चालकों को निर्देश भी दें।

15– मार्गों पर चेकिंग दल को समय-समय पर निरीक्षण के दौरान बस के कू को सुरक्षित संचालन हेतु अपने स्तर से व्यक्तिगत रूप से समझाया जाये तथा मार्ग पर आकस्मिक, यांत्रिक आदि कमियों को दूर करने हेतु निकट डिपो/कार्यशाला से तत्काल सक्रिय भूमिका निभाई जाय।

16– डिपो कार्यशाला स्तर पर तकनीकी कार्मिकों एवं बसों में यांत्रिक कमियों के सम्बन्ध में मु0अ0प0(प्रावि0) के स्तर से समस्त सेवा प्रबन्धक के साथ समीक्षा बैठक आहूत कर कमियों का निराकरण भी कराया जाय तथा गलत पाये जाने पर उन पर कार्यवाही भी की जाय।

17– बस संचालन की अवधि में चालक द्वारा मोबाइल का प्रयोग न किया जाय। यदि यात्री द्वारा चालक को बात करते हुए देखा जाए तो तत्काल उसकी फोटो खींचकर व्हॉट्स ऐप तथा परिवहन निगम हैल्पलाइन नम्बर पर सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

18अ– बस बॉडी डिजाइन में यात्रियों को दुर्घटनाग्रस्त बस में से आसानी से निकलने के लिए समीक्षा कर ऐसा बनाया जाय कि यात्री आसानी से तत्काल बस से निकल सके।

Downloaded from www.upsrtc.com

18ब– वातानुकूलित बसों में विशेष कर डिजाइन में आपातकालीन द्वार में बदलाव होना आवश्यक है।

19– हवाई जहाज की तरह बसों में परिचालक द्वारा यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व यात्रियों को बस की दुर्घटना होने पर क्या करना है, के बारे में सूचना दें।

20– बस के चालक को मार्ग से लौटने के पश्चात् विश्राम के बाद ही मार्ग पर पुनः भेजा जाय।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये और कृत कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(राधे श्याम)
अपर प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– सहायक प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2– सहायक प्रबन्धक, अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3– वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4– विधि परामर्शदाता, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5– मु0प्र0प्र0(प्रशा0/संचा0/प्रा.वि0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
6– समस्त प्रधान प्रबन्धक/मंडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

(राधे श्याम)
अपर प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com